पैन कार्ड 2026 1 अप्रैल से बदल जाएगा नियम, कितने बैंक ट्रांजैक्शन पर असर पड़ेगा!

आधार कार्ड से पैन कार्ड बनाना आसान था, पर 1 अप्रैल 2026 से यह सरलता जंग खाई है। पैन 2.0 और नए नियम आपके बैंक खाते, टैक्स कटौती और आय पर बड़ा प्रभाव डालेंगे।

1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड बनाना, अपडेट करना और उपयोग करना अब अलग दस्तावेज़ और लिंक के साथ होगा। आधार कार्ड पर निर्भर रहने वाला आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव घोषित हो सकता है, जिससे 20% तक TDS कट सकता है।

मुख्य बदलाव:

>> आधार कार्ड से पैन कार्ड बनाना अब मान्य नहीं अलग जन्मतिथि दस्तावेज़ (जन्म प्रमाणपत्र, वोटर आईडी, पासपोर्ट आदि) आवश्यक।

>> डेटा मिलान: पैन और आधार में नाम व जन्मतिथि बिल्कुल समान होनी चाहिए। किसी भी विसंगति पर पैन निष्क्रिय हो सकता है।

>> नया फॉर्मForm 49A 49AAरद्द, नए कैटेगरी स्पेसिफिक फॉर्म जारी।

>> पुराना 10 अंकों वाला नंबर रहेगा, पर कार्ड में नयाडायनेमिक QR कोडजो स्कैन करने पर लीज़्ट अपडेट दिखाएगा।

>> पैन अनिवार्य ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ा: घर और जमीन 20 लाख, होटल कैश 1 लाख, गाड़ी 5 लाख, बैंक कैश 10 लाख।

>> बैंक ट्रांजैक्शन पर 20% TDS: पैन न होने पर बैंक ब्याज, FD, वेतन पर 20% की कटौती।

इन बदलावों से आपका टैक्स इनकॉस्ट बढ़ सकता है, इसलिए 31 मार्च 2026 तक ये कदम उठाएँ:

>> इनकम टैक्स पोर्टल पर पैन-आधार लिंकिंग चेक करें।

>> नाम व जन्मतिथि की शुद्धता सुनिश्चित करें, त्रुटि होने पर आधार सुधारवाएँ।

>> पैं कार्ड एक्टिविलस्टिंग को TDS सर्टिफिकेट के माध्यम से सत्यापित करें।

>> यदि पैन सक्रिय नहीं, तो नया पैन तुरंत ऑनलाइन या नजदीकी आयकर कार्यालय में अप्लाई करें।

जनता के सवाल (FAQs)

यदि पैन inactive है, तो ब्याज, वेतन, FD आय पर 20% तक TDS रोका जा सकता है, जबकि standard 10% से अधिक। इसलिए पैन सक्रिय रखना आवश्यक है।

हाँ, आयकर पोर्टल पर New PAN Application के नीचे नया फॉर्म अपलोड करके ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। दस्तावेज़ अपलोड करते समय डिजिटल सिग्नेचर भी आवश्यक हो सकता है।

>> भारत आयकर विभाग